न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 69/24

GCMS NO 2024/190

1. मगन पुत्र बद्री
2. सुग्रीव पुत्र बद्री
3. राधेश्याम पुत्र बद्री
4. केशव पुत्र मगन
5. तोताराम पुत्र सुग्रीव
6. महेश पुत्र सुग्रीव
7. मनोहर पुत्र राधेश्याम
8. हरिमोहन पुत्र राधेश्याम जातियान जाट निवासीयान जाखोदा तहसील खण्डार जिला सवाईमाधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. धनसी पुत्र माधोलाल जाति जाट निवासी जाखोदा तहसील खण्डार जिला सवाईमाधोपुर
2. तहसीलदार लैण्ड होल्डर खण्डार
3. जे0ई0एन0जे0वि0वि0नि0खण्डार

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 8/22 निर्णय दिनांक 4.8.23 न्यायालय उप जिला कलेक्टर खण्डार)

अभिभाषक अपीला0 श्री रमेश चंद गोयल

अभिभाषक रैस्पो0 श्री कोई उपस्थित नही।

दिनांक 13.8.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 22; विरूद्ध निर्णय दिनांक 4.8.23 न्यायालय उप जिला कलेक्टर खण्डार पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र 212 आर टी एक्ट इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि ख0न0 104 रकबा 1.18, 290/154 रकबा 13.0000, 51 रकबा 1.0100, 92 रकबा 3.16 कुल किता 4 कुल रकबा 19.15 ग्राम जाखोदा मे स्थित है। जो कि सम्वत 2068 से 2071 की जमाबंदी मे धनसी पुत्र माधो जाट [illegible] संख्या 2 लगायत 8 भूमाफिया किस्म के व्यक्ति है। जिन्होने गांव मे गिरोह [illegible] रखे है। जो दूसरो की खातेदारी जमीनो,सिवायचक जमीनो तथा वन विभाग की भूमि पर [illegible] हड़प करने का षडयंत्र रचते रहते है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 [illegible] विद्युत विभाग के कर्मचारियो से साज[illegible]रखी है

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:23:21 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

जिनके सहयोग से अप्रार्थीगण सिवायचक व वन विभाग की भूमि पर कब्जा कर खेती करते है तथा बिजली के अवैध कनेक्शन लेकर उक्त भूमि पर सिचाई कर लाखो रूपये की फसल काश्त करते है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 ने दिनांक 16.11.21 को प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि ख0न0 290/154 रकबा 13 बीघा पर कब्जा करने के उद्देश्य से तारबंदी व सीमेन्ट के गडडू को तोड दिया मना करने पर गाली गलोच की गई। जिसकी शिकायत तहसीलदार से करने पर पटवारी हल्का से जॉच कराने पर पटवारी हल्का द्वारा मौके पर सरसो की फसल खडी होना तथा प्रार्थी के तीन बोर (टयूबवेल) होना एवं अप्रार्थीगण द्वारा जबरन कब्जा करने के तथ्य की पुष्टि की गई है। उक्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है जिसे अप्रार्थीगण जबरन कब्जा कर हडपने पर आमादा है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि मे किसी प्रकार की मजाहमत मदालखत ना तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। रेस्पो0 के बाबजूद तामिल उपस्थित नही होने से बहस अपीलांट अधिवक्ता की अपील पर एक पक्षीय सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मीमो मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल होने से निरस्त योग्य है। रेस्पो0 संख्या 1 पे दावा व अस्थाई निषेधाज्ञा अदालत मातहत मे पेश किया कि आराजी ख0न0 104 रकबा 1.18, 290/154 रकबा 13.0000, 51 रकबा 1.0100, 92 रकबा 3.16 कुल किता 4 कुल रकबा 19.15 ग्राम जाखोदा गांव मे है। जिसको अपीलार्थीगण जबरन कब्जा कर हडप करना चाहते है। गलत तथ्य अंकित किये है। वास्तविकता यह है कि अपीलार्थीगण 1 लगायत 8 की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 275/154, 306/154, 307/154 है जिसको अपीलार्थीगण अपने पूर्वजो के समय से काश्त करते आ रहे है इसी ख0न0 154 मे गांव के अन्य व्यक्तियो की भी खातेदारी की आराजीयात है। तथा इसी ख0न0 सिवायचक व वन विभाग की भूमि है। उक्त आराजी उबड खाबड व कही कुछ समतल है उक्त आराजी ख0न0 154 की तरमीम नही है तथा अपने अपने कब्जे के हिसाब से सभी लोग काश्त कर रहे है। रेस्पो0 न0 1 ने अपीलार्थीगण की खातेदारी ख0न0 275/154, 306/154, 307/154 पर कब्जा करना चाहता है। इसकी आड मे उक्त दावा रेस्पो0 ने [illegible] है। अपीलार्थीगण की आराजी ख0न0 275/154 जो ख0न0 290/154 प्रार्थी की जमी[illegible] लगी हुई है जिसमे अपीलार्थीगण ने बोर लगाकर विधुत कनेक्शन ले रखा है तथा [illegible] किलोमीटर तक अन्दर ग्राउन्ड पाईप लाईन अपनी खातेदारी की जमीन की सिचाई करने के लिए पानी ले जाने के लिए

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:43:21 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

बिछा रखी है। पटवारी हल्का मौका देखने तथा उसकी नियुक्त कानून के विपरीत की है क्योकि साक्ष्य कलक्ट करने के लिए मौका कमिश्नर नियुक्त नही किया जा सकता । पटवारी हल्का मौका देखने गया वहॉ पर अपीलार्थीगण को नही बुलाया गया। धनसी से मिलकर एक तरफ से तीन बोर बताकर धनसी के पक्ष मे रिपोर्ट पेश कर दी। जबकि एक बोर अपीलार्थीगण की ख0न0 275/154 की होने के बाबजूद धनसी प्रार्थी की बता दी गई। यदि गांव वालो से उक्त बोर के बारे मे भली भॉति जानकारी ली जाती तो अपीलार्थीगण की ही बताई जाती। पटवारी हल्का ने कैसे तीन बोर धनसी की होना माना है जबकि बोर पर नाम नही लिखा हुआ है तथा पटवारी हल्का को कोई साक्ष्य लेने का अधिकार नही है। प्रार्थी धनसी के द्वारा जो वाद पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है उसमे बोर ख0न0 290/154 मे होना तथा बोरो का विवाद होना नही लिखा है लेकिन वाद मे बिना संशोधन प्रार्थना पत्र पेश किया है व बिना न्यायालय द्वारा इजाजत दिये संशोधन प्रार्थना पत्र 212 का तीन बोरो का अपना स्वामित्व का बताकर निर्णय करवा लिया है जबकि दुसरा प्रार्थना पत्र पर कानूनी तौर पर आदेश देने का अधिकार अदालत मातहत को नही है एवं प्रार्थना पत्र की रिलीफ मे बोरो से पानी लेने के लिए रिलीफ नही है फिर भी अपने अधिकार क्षैत्र से बाहर जाकर आदेश पारित कर दिया जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जावे।

अपीलांट अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया जिससे यह तथ्य सामने आये कि प्रार्थी/रेस्पो0 द्वारा भूमि ख0न0 290/154 रकबा 13 बीघा वाके ग्राम जाखोदा तहसील खण्डार पर अपीलार्थीगण द्वारा जबरन सीमेन्ट के गडडू एवं तारफेसिंग को तोडकर हडप करने का षडयंत्र रचने के कारण अप्रार्थीगण/अपीलांटगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने की प्रार्थना अधिनस्थ न्यायालय से की गई थी। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि बिना किसी आधार के पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थी की भूमि मे तीन बोरिंग प्रार्थी की होना बताया है। जबकि उक्त दर्शित तीन बोरो मे से एक बोर अपीलांट के खेत ख0न0 275/154 मे स्थित है। इस सबंध मे पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 13.5.22 के अवलोकन से जाहिर है कि मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं नायब तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर तैयार की गई है जिस पर मौके पर वादी एवं प्रतिवादी के उपस्थित होने का अंकन है। अपीलांट द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट के संबंध मे किसी प्रकार की कोई आपत्ति अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत नही की गई है। यदि अपीलांट को मौका रिपोर्ट पर किसी प्रकार की आपत्ति थी तो अपीलांट को अधिनस्थ न्यायालय मे इस बाबत उज्रदारी प्रस्तुत करनी चाहिए थी। जो उनके द्वारा नही की गई है। अपीलीय स्तर पर मौका रिपोर्ट पर किसी प्रकार की उज्रदारी किया जाना विधि के [illegible]। चूंकि विवादित आराजीयात ख0न0 290/154 रकबा 13 बीघा वाके ग्राम [illegible] का खातेदार प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 है जो राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2068-71 [illegible] साबित है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये जाने के उपरान्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:23:21 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

एवं प्रार्थना पत्र के तीनो बिन्दु प्राईमाफेसी केस,सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष मे बखूबी सांबित होना मानकर ही विधिक रूप से निर्णय पारित किया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से, उसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर खण्डार के प्रकरण संख्या 8/22 मे पारित निर्णय दिनांक 4.8.23 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 13.8.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:23:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner